

कार्यालय कलेक्टर जिला बैतूल, एवं समुचित सरकार,

मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

क्रमांक 10 अ/82 वर्ष 2017-18 मौजा मुसाखापा / 2016

बैतूल दिनांक 24-03-2018

प्रारंभिक अधिसूचना

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(है0में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2 3		4	5	6
बैतूल (म0प्र0)	मुलताई	मुसाखापा	4.648	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई	पाराखाती लघु जलाशय

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
1	कली वल्द भूरा दसिया जौ.बिरजू पंवार सा.देह भूमिस्वामी	158	3.469	0.607
2	गीता जौ. इमरत पंवार सा. देह भूमिस्वामी	170/3	1.379	0.021
3	मुन्ना वल्द फँकिरिया पंवार सा. देह	170/5	0.809	0.121
4	दसिया जौ. बिरजू, हरी, आनंद, भोजरा वल्द कली, कमला पिता कली, चैती बेवा कली पंकज पवन वल्द हिराजी पंवार सा. नरसला भूमि स्वामी,	174	0.053	0.053
5	लुङका बेवा फकिरिया, राजकुमार वल्द गुलाब माधुरी कयाधु पिता गुलाब, दुर्गा बेवा गुलाब मुन्ना	175/1	0.850	0.021
	दर्शन परसू वल्द फकिरिया, नानी पिता फकिरिया पंवार सा.देह भूमि स्वामी	190/1	0.048	0.048
6	शारदा पति धर्मेन्द्र पंवार सा. देह भूमि स्वामी	185	0.724	0.021
		186	0.692	0.490
		187	0.170	0.170
		189	0.162	0.021

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
7	साहेबलाल वल्द बहया पंवार सा. देह	190/2	0.049	0.049
8	रिन्चो बेवा बाबूलाल, रामू, लखन, जगन वल्द बाबूलाल, चम्पा पर्वत पिता बाबूलाल सा.देह भूमि स्वामी	190/3	0.049	0.049
9	सुधाकर वल्द भैयालाल पंवार सा. देह	192/1	0.025	0.025
		193/1	0.182	0.182
10	प्रेमलाल वल्द भया पंवार सा. देह भूमि स्वामी,	192/2	0.025	0.025
		193/2	0.182	0.182
11	इमरत वल्द भैयालाल पंवार सा. देह भूमि स्वामी	192/3	0.023	0.023
		193/3	0.391	0.391
12	हरि वल्द कलीराम पंवार सा.देह भूमि स्वामी	195/1	0.720	0.720
		195/6	0.105	0.105
13	भोजराज वल्द कलीराम पंवार सा. देह भूमिस्वामी	195/2	0.542	0.542
		195/4	0.125	0.125
14	आनंदराव वल्द कलीराम पंवार सा. देह भूमि स्वामी	195/3	0.531	0.531
		195/5	0.126	0.126
योग			11.431	4.648

1- चूंकि पाराखाती जलाशय हेतु, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 04 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु पृथक से कार्यवाही प्रचलित है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,




(शशांक मिश्र) 21/03

कलेक्टर बैतूल एवं समुचित सरकार,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पृ0क0 10अ-82/वर्ष 17-18/3016

प्रतिलिपि:-

- 1- उपनियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री केन्द्रीय मुद्रणालय, म0प्र0 भोपाल की ओर म0प्र0 राजपत्र भाग एक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
- 2- संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास, भोपाल को सूचनार्थ (पांच प्रतियों में) अग्रेषित। कृपया उक्त अधिसूचना का प्रकाशन दो दैनिक समाचार पत्रों में कर इस कार्यालय को अवगत कराने तथा समाचार पत्रों की प्रतियां भी भेजने का कष्ट करें।
- 3- कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई को सूचनार्थ अग्रेषित। अधिसूचना का प्रकाशन कार्यालयीन सूचना पटल पर करवाया जाकर पालन प्रतिवेदन तथा प्रकाशन के पेपर प्रतियां एक माह के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
- 4- प्रभारी एन आई सी सेन्टर बैतूल की ओर समूचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर अपलोड किए जाने हेतु अग्रेषित ।
- 5- प्रभारी अधिकारी (नजारत शाखा) कलेक्टर कार्यालय बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 6- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताई की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 7- तहसीलदार मुलताई की ओर (तीन प्रतियों में) में अग्रेषित । एक प्रति तहसील कार्यालय में तथा एक प्रति अर्जन हेतु प्रस्तावित स्थल पर चस्पा करावें एवं एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 8- जिला जनसम्पर्क अधिकारी, बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित । प्रकाशित विज्ञापन की प्रति कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) बैतूल को उपलब्ध करावें।
- 9- सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत मुसाखापा तहसील मुलताई जिला बैतूल (म0प्र0) की ओर उक्त प्रकाशन ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर करवाने हेतु अग्रेषित ।


कलेक्टर बैतूल एवं समुचित सरकार
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग